

**Women Cell**  
**Report 2022-23**

**Steps and Preventive Measures taken by Committee**

- 1. Women Cell has been formed to ensure the prevention for sexual harassment of women.**
- 2. This committee is working consisting the following members:**
  - Smt. Rukhmani Sahu (Convenor)**
  - Dr. Pushpa Minj (Member)**
  - Dr. Sadhna Rahatgaonkar (Member)**
- 3. Rules and Regulations has been displayed and circulated in Notice Board.**
- 4. The guidelines against sexual harassment in the workplace have been displayed to become aware of the rules.**
- 5. The college atmosphere is made very healthy educating the students in their regards.**
- 6. The students are made free to share their problems to their professors.**
- 7. The students are made confident that they will support by their teachers and committee members at the time of need.**

**Principal**

## महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

1. ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, जो अरूचि कर यौन भावना से प्रेरित हो ।
2. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न ।
3. यौन अनुग्रह की माँग ।
4. यौन अर्थ से रंजित फब्तियाँ ।
5. अश्लील चित्र दिखाना ।
6. कोई अन्य अरूचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक संपर्क ।
7. ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये ।
8. ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी, धमकी देकर किया जाये ।
9. ऐसा यौन उत्पीड़न जो देश या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाये ।
10. छेड़खानी करना ।
11. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करने का प्रयत्न करना ।
12. भद्दा मजाक करना ।
13. फोन पर अश्लील बातचीत करना ।
14. इच्छा के विरुद्ध करना, उसकी निजता का उल्लंघन करना ।
15. किसी भी प्रकार की ज्यादाती करना ।

आदि संबंधी अपराध होने पर विभाग प्रमुख, निकटस्थ पुलिस थाना, महिला थाना तथा राज्य महिला आयोग को सूचित करें ।

राज्य महिला आयोग, रायपुर (छत्तीसगढ़)  
द्वारा महिलाओं के हित में प्रसारित ।